यालय ना० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 361/18

सरकार

बनाम श्री:- शिवसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 26/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री शिवसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी कोठला तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम कोठला की राजकीय आराजी खसरा नं. 340 रकबा 150 m² किस्म गैरमु० रास्ता भूमि से 150 m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता निर्माण कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.28 का 50 गुना 15रू राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

मांग 6

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 103 पर
वर्ष 2017-18 में ...
की राशि तादादी रुपये 15रू पै०
की जमा कायमी की गई।
दिनांक 26/3/18 तहसील ... सहायक
तहसील-महवा